प्र.सं. 48/2019 हरी ांकर व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट 1 से 5 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मालियों की मादडी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात स्थित है, जिस पर वादी संख्या 1 का कब्जा 70 वर्शो से तथा वादी संख्या 2 व 3 का कब्जा 30 वर्शो से चला आ रहा है, किन्तु बन्दोबस्त के समय गलती से आराजी नंबर 932 रकबा 0.0800 एवं आराजी नंबर 934 रकबा 0.2150 हैक्टर प्रतिवादीगण के पिता रूपराम ब्राहमण के खाते कर दिया गया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजीयात से रूपराम ब्राहमण का कोई सम्बन्ध नहीं है, न ही उनका कभी कब्जा रहा है, न ही भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया गया है, सेटलमेन्ट की मिलीभगत से प्रतिवादीगण ने भूमि अपने नाम करवा ली है। अतः विवादित भूमि प्रतिवादीगण के खाते से हटायी जाकर वादीगण को खातेदार घोशित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसपर वादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया, किन्तु पक्षकारों की उदासीनता के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.11.2011 को वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद अदम पैरवी एवं हाजरी में खारिज कर दिया। तत्प चात वादीगण की ओर से आदे ा 9 नियम 9 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05.09.2019 से वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17.10.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसे भाामिल पत्रावली किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दो[illegible] बताया कि अधिनस्थ न्यायालय वाद, ज[illegible]के जवाब के आधार पर कोई तनकी कायम नहीं [illegible] जबकि आदे ा 14 नियम 1 के अनुसार तनकियात कायम [illegible] तनकीवार निर्णय [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:06 IST
Reason: SelfAttested

करना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी कालू एवं भगवानलाल की मृत्यु हो गयी, किन्तु उनके वारिसान को रेकार्ड पर लिये बिना निर्णय पारित कर दिया, जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम डिक्री फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 31, आर.बी.जे. (9) 2002 पेज 408, आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1238 एवं 2018 (3) डब्ल्यू.एल.एन.(SC) पेज 66 की न्यायिक नजीरें प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृश्ट किया।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण में आयी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद, जवाबदावा, काउण्टर क्लेम एवं काउण्टर क्लेम के जवाब पर किसी प्रकार की कोई तनकी कायम नहीं की है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 2/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.09.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर, तत्प चात उन पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.02.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:06 IST
Reason: SelfAttested